



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 6 अक्टूबर, 2001

आश्विन 14, 1923 शक सम्बत

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 2465/सत्रह-वि-1-1(क)-42-2001

लखनऊ, 6 अक्टूबर, 2001

अधिसूचना

विविध

‘भारत का संविधान’ के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश पण्डित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान विधेयक, 2001 पर दिनांक 5 अक्टूबर, 2001 को अनुमति प्रदान की और यह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन 2001 के रूप में सर्वसाधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

उत्तर प्रदेश पण्डित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं

गो-अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2001

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन 2001)

{जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ}

उत्तर प्रदेश में पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान से सम्बन्धित शिक्षा के संवर्धन और विकास के लिए पण्डित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान की स्थापना करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

1- (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पण्डित दीन दयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2001 कहा जायगा।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे।

संक्षिप्त नाम और
प्रारम्भ

परिभाषाएं

2— इस अधिनियम में:—

- (क) "विद्या परिषद" और "कार्यपरिषद" का तात्पर्य क्रमशः विश्वविद्यालय की विद्या परिषद और कार्यपरिषद से है;
- (ख) "सम्बद्ध महाविद्यालय" का तात्पर्य ऐसे महाविद्यालय या संस्था से है जो इस अधिनियम या परिनियमावली के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो;
- (ग) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची—एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से हैं;
- (घ) "घटक महाविद्यालय" का तात्पर्य ऐसे महाविद्यालय या संस्था से है जो विश्वविद्यालय या राज्य सरकार द्वारा पोषित हो या इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा इस प्रकार नामांकित हो;
- (ङ) "संकाय" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के संकाय से है;
- (च) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के सम्बन्ध में "प्रबन्ध तंत्र" का तात्पर्य ऐसी प्रबन्ध समिति या अन्य निकाय से है जिस पर उस महाविद्यालय के प्रबन्ध का भार हो और जिसे विश्वविद्यालय द्वारा इस रूप में मान्यता दी गयी हो:
- परन्तु किसी नगरपालिका द्वारा पोषित किसी ऐसे महाविद्यालय के सम्बन्ध में "प्रबन्ध तंत्र" पद का तात्पर्य ऐसी नगरपालिका की शिक्षा समिति से है और पद 'प्रबन्ध तंत्र का अध्यक्ष' का तात्पर्य ऐसी समिति के अध्यक्ष से है;
- (छ) "नगरपालिका" का तात्पर्य, यथास्थिति, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 या उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 के अधीन गठित किसी नगरपालिका से है;
- (ज) "विहित" का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है;
- (झ) "परिनियमों" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के परिनियमों, से है;
- (ञ) "अध्यापक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो विश्वविद्यालय या किसी सम्बद्ध या घटक महाविद्यालय में शिक्षण के लिए अथवा अनुसंधान कार्य में मार्गदर्शन या संचालन के लिए नियोजित हो और इसके अन्तर्गत उसका प्राचार्य या निदेशक भी है;
- (ट) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश पण्डित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान से है;

अध्याय—दो

विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय की
स्थापना और उसका
निगमन

3—(1) ऐसे दिनांक से, जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे, जिसे आगे नियत दिनांक कहा गया है, मथुरा में उत्तर प्रदेश पण्डित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा।

नये महाविद्यालय की
स्थापना और
विश्वविद्यालय द्वारा
संस्था को मान्यता

4—(1) नियत दिनांक को और से, किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के सिवाय, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान में शिक्षण के लिए कोई महाविद्यालय या संस्था स्थापित नहीं की जायेगी।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व धारा 26 के उपबन्धों के अधधीन रहते हुये किसी अन्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त या पोषित कोई महाविद्यालय या संस्था विश्वविद्यालय से सम्बद्ध नहीं की जायेगी।

शक्तियों का
प्रादेशिक क्षेत्र में
प्रयोग

5— इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग के लिए विश्वविद्यालय की अधिकारिता सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगी।

6— विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ और कर्तव्य होंगे, अर्थात्:—

विश्वविद्यालय की
शक्तियाँ और कर्तव्य

(क) पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान की ऐसी शाखाओं में, जैसा विश्वविद्यालय अवधारित करे, शिक्षा प्रदान करना, उसका उन्नयन और अभिवर्धन करना;

(ख) उक्त विज्ञानों में अनुसंधान संचालित करना और,

(ग) ऐसे विज्ञानों का राज्य सरकार के सहयोग से विकास करने और उनका ग्रामीण जनता में विस्तार करने का जिम्मा लेना;

(घ) यथास्थिति किसी विद्यालय की सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान करना या पहले से ही सम्बद्धता प्राप्त किसी विद्यालय के विशेषाधिकारों को बढ़ाना या किसी ऐसे विशेषाधिकार को वापस लेना या उसमें कमी करना और ऐसे विद्यालयों का मार्गदर्शन करना और उनके कार्य का नियंत्रण करना;

(ङ.) उपाधियों या अन्य शैक्षिक विशिष्टियों को संस्थित करना और प्रदान करना;

(च) ऐसे व्यक्तियों के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना और उन्हें उपाधियाँ या अन्य शैक्षिक विशिष्टताएं प्रदान करना जिन्होंने,—

(एक) विश्वविद्यालय या किसी सम्बद्ध या घटक महाविद्यालय में किसी शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो; या

(दो) विश्वविद्यालय में या किसी सम्बद्ध या घटक महाविद्यालय द्वारा इस निमित्त मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय में, परिनियमों द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन अनुसंधान कार्य किया हो;

(छ) यथा विहित रीति और शर्तों के अधीन मानद उपाधियाँ या अन्य शैक्षिक विशिष्टताएं प्रदान करना;

(ज) परिनियमों के अनुसार अधिछात्रवृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, विद्यावृत्तियाँ, छात्र सहायता वृत्तियाँ और परितोषकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(झ) ऐसी फीस और अन्य प्रभार मांगना और प्राप्त करना जो परिनियमों द्वारा नियत किये जायं;

(ञ) निम्नलिखित के लिए उपबन्ध करना:—

(एक) राष्ट्रीय कैडेट कोर या तत्सम्मान अन्य संगठनों का पोषण;

(दो) शारीरिक और शैत्य प्रशिक्षण; और

(तीन) खेलों और खेलकूद क्लबों;

(ट) राज्य सरकार द्वारा सृजित पदों पर विश्वविद्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करना;

(ठ) राज्य सरकार या केन्द्र सरकार से उपहार, अनुदान, दान, या सन्दान प्राप्त करना और यथास्थिति वसीयतकर्ता, दानकर्ता, या अन्तरक से चल या अचल सम्पत्ति की वसीयत, दान या अन्तरण प्राप्त करना और उसे धारण करना और उसका प्रबन्ध करना;

(ड) विद्यालयों या संस्थाओं की सम्बद्धता की शर्तें अधिकथित करना और समय-समय पर निरीक्षण द्वारा यह समाधान करना कि ऐसी शर्तें पूरी की जा रही हैं;

(ढ) अन्य विश्वविद्यालयों या प्राधिकारियों से ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए जिन्हें

विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, सहकार्य या सहायोग करना;

(ण) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक ऐसे सभी अन्य कार्य करना चाहे ये उपर्युक्त शक्तियों के आनुषंगिक हो या न हो।

7—(1) विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिए होगा भले ही वे किसी वर्ग या मत के हो।

(2) उपधारा (1) में दी गयी किसी बात से विश्वविद्यालय से यह अपेक्षा नहीं की जायेगी कि वह,—

विश्वविद्यालय सभी
वर्गों और पक्षों के
लिए होगा

(क) किसी पाठ्यक्रम में किसी ऐसे व्यक्ति को प्रवेश दे जो विहित शैक्षिक अर्हता या मानक न रखता हो;

(ख) विश्वविद्यालय की पंजी में किसी ऐसे छात्र को रखे जिसका शैक्षिक अभिलेख उपाधि, डिप्लोमा या अन्य शैक्षिक विशिष्टता प्रदान करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम मानक से नीचे हो;

(ग) किसी ऐसे व्यक्ति का प्रवेश दे या किसी छात्र को प्रतिधारित करे जिसका आचरण विश्वविद्यालय के या विश्वविद्यालय के छात्रों या कर्मचारियों के अधिकारों और विशेषाधिकारों के हित के प्रतिकूल प्रभाव डालता हो;

(घ) परिनियमावली में अवधारित संख्या से अधिक संख्या में छात्रों को किसी पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश प्रदान करें।

अध्याय-3

निरीक्षण तथा जाँच

8—(1) राज्य सरकार को, किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा वह निर्देश दे, विश्वविद्यालय या उसके द्वारा अनुरक्षित किसी सम्बद्ध या घटक महाविद्यालय का, जिसके अन्तर्गत उसके भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कर्मशाला तथा उपस्कर भी हैं और विश्वविद्यालय या ऐसे महाविद्यालय द्वारा संचालित या कराई गयी परीक्षा, अध्यापन-कार्य तथा अन्य कार्य का भी निरीक्षण कराने का, और उसी प्रकार विश्वविद्यालय या ऐसे महाविद्यालय के प्रशासन तथा वित्त से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में जाँच कराने का अधिकार होगा।

(2) जहाँ राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन कोई निरीक्षण या जांच कराने का विनिश्चय करे, तो वह उसकी सूचना कुलसचिव के माध्यम से विश्वविद्यालय को देंगे, और ऐसे निरीक्षण या जांच में परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हो सकेगा और उसे इस रूप में सुनवाई का अधिकार होगा:

परन्तु ऐसे निरीक्षण या जांच में विश्वविद्यालय की ओर से कोई व्यक्ति विधि व्यवसाई के रूप में न तो उपस्थित होगा, न अभिवचन करेगा और न कोई कार्य करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच करने के लिए नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को, सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ होगी जो उन्हें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद पर विचार करते समय, शपथ पर साक्ष्य लेने और साक्षियों को उपस्थित कराने के लिए तथा दस्तावेजों और सारवान वस्तुओं को प्रस्तुत करने के निमित्त बाध्य करने के प्रयोजनार्थ प्राप्त है और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और 346 के अर्थान्तर्गत सिविल न्यायालय समझा जायेगा और उसके या उनके समक्ष कोई भी कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी।

(4) राज्य सरकार ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के प्रति निर्देश कुलपति को सम्बोधित करेगी और कुलपति, राज्य सरकार के विचार और उस पर की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में राज्य सरकार की सलाह कार्यपरिषद को संसूचित करेगा।

(5) कुलपति तब ऐसे समय के भीतर, जिसे राज्य सरकार नियत करे उसे परिषद द्वारा की गयी या की जाने के लिए प्रतिस्थापित कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(6) यदि विश्वविद्यालय के प्राधिकारी उचित समय के भीतर राज्य सरकार के समाधान के अनुसार कार्यवाही न करे तो राज्य सरकार किसी ऐसे स्पष्टीकरण पर, जिसे विश्वविद्यालय के प्राधिकारी प्रस्तुत करे, विचार करने के पश्चात ऐसे निदेश जारी कर सकेगी जिसे वह ठीक समझे और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगे।

(7) राज्य सरकार कुलाधिपति को, उपधारा (1) के अधीन कराये गये प्रत्येक निरीक्षण या जांच की और उपधारा (5) के अधीन कुलपति से प्राप्त प्रत्येक संसूचना की और उपधारा (6) के अधीन जारी किये गये प्रत्येक निदेश की और ऐसे निदेश का पालन करने अथवा न करने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्येक रिपोर्ट या जानकारी की प्रतियाँ भी भेजेगी।

(8) उपधारा (6) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कुलाधिपति की, उपधारा (7) में निर्दिष्ट किसी दस्तावेज या सामग्री पर जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व की गयी किसी जांच की कोई रिपोर्ट भी है, विचार करने के पश्चात् यह राय हो कि कार्यपरिषद अपने कृत्यों का पालन करने में असफल रही अथवा उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है, तो वह लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का उसे अवसर देने के पश्चात् यह आदेश दे सकेगा कि उक्त कार्यपरिषद को अतिष्ठित करते हुए कुलाधिपति तथा दस से अनधिक ऐसे अन्य व्यक्तियों से, जिन्हें कुलाधिपति इस निमित्त नियुक्त करें जिसके अन्तर्गत अतिष्ठित कार्य परिषद का कोई सदस्य भी है, गठित एक तदर्थ समिति दो वर्ष से अनाधिक ऐसी अवधि के लिए और उपधारा 11 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जिसे कुलाधिपति समय-समय पर विनिर्दिष्ट करें, इस अधिनियम के अधीन कार्यपरिषद की सभी शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग और अनुपालन करेगी।

(9) उपधारा (8) के अधीन आदेश दिये जाने पर, उससे अतिष्ठित कार्य परिषद के सभी सदस्यों की, जिसके अन्तर्गत पदेन सदस्य भी है, पदावधि समाप्त हो जायेगी और ऐसे सभी सदस्य इस रूप में अपना पद रिक्त कर देंगे।

अध्याय-चार

विश्वविद्यालय के अधिकारी

9-विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे:-

- (क) कुलाधिपति
- (ख) कुलपति
- (ग) प्रतिकुलपति
- (घ) कुलसचिव
- (ङ.) वित्त अधिकारी
- (च) परीक्षा नियंत्रक
- (छ) संकायों के अध्यक्ष

विश्वविद्यालय के
अधिकारी

(ज) विश्वविद्यालय सेवा में ऐसे अन्य व्यक्ति जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जाय।

10-(1) राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे।

(2) कुलाधिपति अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और वह जब उपस्थित हो तो, विश्वविद्यालय के किसी दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा।

कुलाधिपति

(3) सम्मानित उपाधि प्रदान करने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलाधिपति की पुष्टि के अधीन होगा।

(4) कुलाधिपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो उसे इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्रदान की जाय।

11-(1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और वह कुलाधिपति द्वारा पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान के क्षेत्र में प्रख्यात ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायेगा, जिनके नाम उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति द्वारा उसे प्रस्तुत किये गये हों।

कुलपति

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(क) पशुपालन विभाग में राज्य सरकार का यथास्थिति प्रमुख सचिव या सचिव, जो समिति का संयोजक भी होगा;

(ख) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा हो;

(ग) कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक व्यक्ति।

(3) कुलपति अपना पद ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

(4) कुलपति की परिलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जायं:

परन्तु किसी कुलपति की सेवा के निबन्धन और शर्तों में उसके कार्यकाल के दौरान उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(5) जहाँ कुलपति अनुपस्थिति, अस्वस्थता या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, वहाँ प्रतिकुलपति तब तक कुलपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जब तक कि कुलपति अपना पदभार पुनः ग्रहण न कर लें।

(6) यदि कुलाधिपति की राय में कुलपति जानबूझकर इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करता है या कार्यान्वित करने से इन्कार करता है या अपने में निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत हो कि कुलपति का पद पर बना रहना विश्वविद्यालय के लिए अहितकर है, तो कुलाधिपति ऐसी जांच करने के पश्चात जैसा वह उचित समझे, आदेश द्वारा, कुलपति को हटा सकता है।

(7) उपधारा (6) में निर्दिष्ट किसी जांच के अनुध्यात रहते हुये कुलाधिपति यह आदेश दे सकते हैं कि जब तक अग्रतर आदेश न दिया जाय:—

(क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कार्य संचालन से विरत रहेगा, किन्तु उसे वह परिलब्धियाँ प्राप्त होती रहेंगी जिनके लिए वह अन्यथा हकदार था;

(ख) कुलपति पद के कार्य का संचालन, आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

12—(1) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा, और:—

कुलपति की शक्तियाँ और कर्तव्य

(क) विश्वविद्यालय के सम्बद्ध और घटक महाविद्यालयों के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा;

(ग) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के किसी दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा;

(घ) विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगा;

(ङ.) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का समुचित ढंग से और ठीक समय पर आयोजन और संचालन करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि ऐसी परीक्षाओं के परिणाम शीघ्रता से प्रकाशित किये जायं और विश्वविद्यालय का शिक्षा सत्र नियत दिनांक को प्रारम्भ और समाप्त हो।

(2) कुलपति कार्यपरिषद्, विद्यापरिषद् और वित्त समिति का पदेन सदस्य और अध्यक्ष होगा।

(3) कुलपति को विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय की बैठक में बोलने और अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार न होगा।

(4) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों का निष्ठापूर्वक अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें और कुलाधिपति की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे ऐसी सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो उस निमित्त आवश्यक हों।

(5) कुलपति को कार्यपरिषद् विद्यापरिषद् और वित्त समिति की बैठक बुलाने या बुलवाने की शक्ति होगी:

प्रतिबन्ध यह है कि वह विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी को यह शक्ति प्रत्यायोजित कर सकता है।

(6) जहां कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला हो, जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सशक्त विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा इस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके तो कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकता है जो वह ठीक समझे और अपने द्वारा की गयी कार्यवाही की तत्काल रिपोर्ट वह कुलाधिपति और ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय को भी देगा जो सामान्य क्रम में उस मामले के सम्बन्ध में कार्यवाही करते:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उसमें परिनियमों से कोई विचलन हो तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन के बिना कुलपति कोई ऐसी कार्यवाही नहीं करेगा:

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय की राय हो कि ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए थी, तो वह मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट कर सकता है जो या तो कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही की पुष्टि कर सकता है या उसे निष्प्रभावी कर सकता है या उसे ऐसी रीति से उपान्तरित कर सकता है जिसे वह ठीक समझे और तदुपरान्त वह कार्यवाही यथास्थिति प्रभावी नहीं होगी या उपान्तरित रूप में प्रभावी होगी, किन्तु ऐसे किसी निष्प्रभावीकरण या उपान्तर से कुलपति के आदेश द्वारा या उसके अधीन पहले की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा:

प्रतिबन्ध यह भी है कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो ऐसी कार्यवाही के विरुद्ध उस दिनांक से जब उसे ऐसी कार्यवाही के सम्बन्ध में विनिश्चय से संसूचित किया जाय, तीन माह के भीतर कार्यपरिषद् को अपील करने का अधिकार होगा और तदुपरान्त कार्यपरिषद्, कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही की पुष्टि या उपान्तरित कर सकती है या उसे उलट सकती है।

(7) उपधारा (6) की किसी बात से कुलपति को कोई ऐसा व्यय उपगत करने के लिए सशक्त नहीं समझा जायेगा जो सम्यक् रूप से प्राधिकृत न हो, और जिसकी व्यवस्था बजट में न की गयी हो।

(8) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो परिनियमों द्वारा निर्धारित की जाय।

13—(1) कुलपति, कार्यपरिषद् के अनुमोदन से विश्वविद्यालय के आचार्यों में से किसी एक को प्रतिकुलपति नियुक्त कर सकता है।

प्रतिकुलपति

(2) प्रतिकुलपति, कुलपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा।

(3) प्रतिकुलपति ऐसा मानदेय पाने का हकदार होगा जैसा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(4) प्रतिकुलपति ऐसे मामलों में कुलपति की सहायता करेगा जिन्हें कुलपति समय-समय पर इस निमित्त यथा विनिर्दिष्ट करे और कुलपति की अनुपस्थिति में वह विश्वविद्यालय की बैठक की अध्यक्षता करेगा और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जिन्हें कुलपति उसे सौंपें या प्रत्यायोजित करें।

कुलसचिव

14—(1) कुलसचिव विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

(2) कुलसचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जायेगी, जैसी विहित की जाय।

(3) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेख अभिप्रमाणित करने की शक्ति होगी।

(4) कुलसचिव विश्वविद्यालय के अभिलेखों और सामान्य मुद्रा की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह कार्यपरिषद् का पदेन सचिव होगा और वह कार्यपरिषद् के समक्ष ऐसी समस्त सूचना प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा जो उसके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हो, वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा जो विहित किये जाय या कार्यपरिषद् या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार न होगा।

(5) कुलसचिव को परिनियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, विश्वविद्यालय में किसी कार्य के लिए कोई पारिश्रमिक न तो दिया जायेगा और न वह स्वीकार करेगा।

परीक्षा नियंत्रक

15—(1) परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

(2) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा की जायेगी और उसके पारिश्रमिक और भत्तों का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

(3) परीक्षा नियंत्रक अपने कार्य से सम्बंधित अभिलेखों की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति का पदेन सचिव होगा और वह ऐसी समिति के समक्ष ऐसी समस्त जानकारी प्रस्तुत करने को बाध्य होगा जो उसके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हो। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा जो विनियम द्वारा विहित किये जाय या कार्यपरिषद् अथवा कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो, किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार न होगा। वह विश्वविद्यालय के किसी कार्यालय से ऐसी विवरणी प्रस्तुत करने की या ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकता है जो उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

(4) कुलपति के अधीक्षण के अधीन रहते हुए परीक्षा नियंत्रक, अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों के ऊपर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा और उसे इस सम्बन्ध में कुलसचिव की सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी।

(5) परीक्षा समिति के अधीक्षण के अधीन रहते हुए, परीक्षा नियंत्रक परीक्षाओं का संचालन करेगा और उनके लिए आवश्यक सभी अन्य प्रबन्ध करेगा और तत्सम्बन्धी सभी प्रक्रियाओं के सम्यक् निष्पादन के लिए उत्तर दायी होगा।

(6) परीक्षा नियंत्रक को राज्य सरकार के आदेश के अनुसार के सिवाय विश्वविद्यालय में किसी कार्य के लिए कोई पारिश्रमिक न तो दिया जायेगा और न वह स्वीकार करेगा।

(7) जहां परीक्षा नियंत्रक किसी कारणवश कार्य करने में असमर्थ हो या परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त हो, तो उसके पद के समस्त कर्तव्यों का पालन यथास्थिति, परीक्षा नियंत्रक के पुनः कार्यभार सम्भालने या रिक्ति के भरे जाने तक ऐसे व्यक्ति द्वारा सम्पादित किया जायेगा, जिसे कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाय।

16—(1) विश्वविद्यालय के लिए एक वित्त अधिकारी होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियुक्त करेगी और उसके पारिश्रमिक और भत्तों का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

वित्त अधिकारी

(2) वित्त अधिकारी कार्यपरिषद् के समक्ष बजट (वार्षिक अनुमान) और लेखा विवरण प्रस्तुत करने और विश्वविद्यालय की ओर से निधियों का आहरण और वितरण करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) वित्त अधिकारी को कार्यपरिषद् में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु मत देने का हकदार न होगा।

(4) वित्त अधिकारी के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे:—

(क) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय द्वारा विनिधान से भिन्न कोई व्यय जो बजट द्वारा प्राधिकृत न हो, न किया जाय;

(ख) किसी ऐसे प्रस्तावित व्यय को अस्वीकार करना जो इस अधिनियम के उपबन्धों या परिनियमों के किन्हीं निबन्धनों का उल्लंघन करता हो;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि कोई अन्य वित्तीय अनियमितता न की जाय और लेखा परीक्षा के दौरान उपदर्शित किन्हीं अनियमितताओं को ठीक करने के लिए कार्यवाही करना;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और विनिधानों का सम्यक् रूप से परिरक्षण और प्रबन्ध किया जा रहा है।

(5) वित्त अधिकारी की पहुंच विश्वविद्यालय के ऐसे अभिलेखों तथा दस्तावेजों तक होगी और वह उन्हें प्रस्तुत करने और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से सम्बन्धित ऐसी सूचना देने की अपेक्षा कर सकेगा जो उसकी राय में उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिए आवश्यक हो।

(6) वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय की ओर से सभी संविदायें करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

(7) वित्त अधिकारी की अन्य शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जो विहित किये जायें।

(17)—इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, कुलाधिपति, कुलपति, वित्त अधिकारी और कुलसचिव से भिन्न विश्वविद्यालय के अधिकारियों के नियुक्ति के ढंग, सेवा के निबन्धन और शर्तें और शक्तियाँ और कर्तव्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जायें।

अन्य अधिकारियों की शक्तियाँ, कर्तव्य, सेवा की निबन्धन और शर्तें

अध्याय—पांच विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

(18)—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात्:—

- (क) कार्य परिषद्;
- (ख) विद्या परिषद्
- (ग) वित्त समिति;
- (घ) परीक्षा समिति; और

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

(ड.) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जायें।

(19)–(1) कार्यपरिषद् में निम्नलिखित होंगे:—

- (क) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा;
- (ख) प्रतिकुलपति, यदि कोई हो;
- (ग) उच्च शिक्षा विभाग में राज्य सरकार का सचिव;
- (घ) पशुपालन एवं मत्स्य विभाग में राज्य सरकार सचिव;
- (ड.) वित्त विभाग में राज्य सरकार का सचिव;
- (च) निदेशक, पशुपालन, उत्तर प्रदेश;
- (छ) पशुधन के क्षेत्र में प्रतिष्ठित एक ख्याति प्राप्त उद्योगपति राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट;
- (ज) राज्य सरकार की संस्तुति पर कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट दो विख्यात पशुचिकित्सक;
- (झ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट पशुधन कृषकों या पशुधन अभिजनक में से दो व्यक्ति जिन्हें वैज्ञानिक कृषि और पशुधन सुधार करने का अनुभव हो;
- (त्र) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक समाज सेवक जिसके पास ग्रामीण अभिवर्धन की पृष्ठभूमि हो;

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, किसी व्यक्ति को कार्यपरिषद् के सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह स्नातक न हो।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (ज), (झ) और (त्र) में उल्लिखित सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी।

(4) कोई भी व्यक्ति कार्यपरिषद् के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट होने या सदस्य बने रहने के लिए अनर्ह होगा यदि वह या उसका नातेदार विश्वविद्यालय में, या उसके निमित्त किसी कार्य के लिये कोई पारिश्रमिक, या विश्वविद्यालय को माल प्रदाय करने के लिए या उसके निमित्त किसी संकर्म का निष्पादन करने के लिये कोई संविदा स्वीकार करता है।

स्पष्टीकरण— इस उपधारा में “नातेदार” का तात्पर्य कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में परिभाषित नातेदारों से है और इसके अन्तर्गत पत्नी (या पति) का भाई, पत्नी (या पति) का पिता, पत्नी (या पति) की बहिन, भाई का पुत्र और भाई की पुत्री भी है।

कार्य परिषद् की शक्तियां और कर्तव्य

20—(1) कार्य परिषद्, विश्वविद्यालय की प्रधान कार्यपालन निकाय होगी और उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:—

- (क) विश्वविद्यालय के कार्यकलाप का पर्यवेक्षण और उन पर नियंत्रण रखना;
- (ख) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और निधियों को धारण करना और उन पर नियंत्रण रखना;
- (ग) कुलपति की उपलब्धियों और सेवा के निबन्धनों और शर्तों की संस्तुति करना;
- (घ) शैक्षिक कार्यक्रमों को अनुमोदित करना;
- (ड.) परिनियमों को बनाना, संशोधित करना या निरसित करना;
- (च) विश्वविद्यालय का बजट तैयार करना;
- (छ) विश्वविद्यालय के व्ययनाधिकार में रखी गयी किसी निधि का प्रशासन करना;

(ज) विश्वविद्यालय की किसी जंगम, स्थावर या बौद्धिक सम्पत्ति का अर्जन या अन्तरण करना;

(झ) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा के आकार और उपयोग के सम्बन्ध में निर्देश देना;

(ञ) ऐसी समितियां नियुक्त करना जो विश्वविद्यालय के दक्षतापूर्ण कार्य करने के लिए अपेक्षित हों;

(ट) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की परिलब्धियां और उनकी सेवा के निबन्धन और शर्तें अवधारित करना;

(ठ) विश्वविद्यालय के बैंक लेखों का संचालन प्राधिकृत करना;

(ड) इस अधिनियम या परिनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बन्धित अन्य सभी विषयों को विनियमित और निर्धारित करना।

(2) कार्य परिषद् की प्रत्येक बैठक ऐसे दिनांक, समय और स्थान पर होगी जो कुलपति द्वारा नियत की जाय।

(3) कार्य परिषद् के सदस्य ऐसा भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे जैसा विहित किया जाय।

(4) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना कार्य परिषद्, बन्धक, विक्रय, विनियम, दान या अन्यथा विश्वविद्यालय की किसी स्थावर सम्पत्ति का (सिवाय साधारण प्रबन्ध के अनुक्रम में मासानुमास किराये पर देने के) न तो अन्तरण करेगी और न सिवाय राज्य सरकार से विश्वविद्यालय के लिए कोई सहायक अनुदान प्राप्त होने की शर्त के रूप में या राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के किसी अन्य व्यक्ति से उसकी प्रतिभूति पर कोई धन उधार या अग्रिम लेगी।

(5) कार्य परिषद्, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आवर्ती और अनावर्ती व्यय के लिए वित्त समिति द्वारा नियम सीमा से अधिक व्यय उपगत नहीं करेगी।

(6) कार्य परिषद्, परिनियमों में निर्धारित किन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या अन्य प्राधिकारी को या अपने द्वारा नियुक्त किसी समिति को अपनी ऐसी कोई शक्ति जिसे वह ठीक समझे प्रत्यायोजित कर सकती है।

21—(1) विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय की प्रधान विद्या निकाय होगी और इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उसका नियंत्रण और साधारण विनियमन करेगी और विश्वविद्यालय में शिक्षण, शिक्षा और परीक्षा के स्तर को बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगी और उसकी ऐसी अन्य शक्तियां और कर्तव्य होंगे जैसे उसे परिनियमों द्वारा प्रदत्त किये जायं या उस पर अधिरोपित किये जायं और वह विद्या सम्बन्धी समस्त विषयों पर, कार्य परिषद् को सलाह दे सकती है।

विद्या परिषद्

(2) विद्या परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् —

(क) कुलपति	अध्यक्ष
(ख) प्रतिकुलपति;	सदस्य
(ग) सम्बद्ध या घटक विद्यालयों के ऐसे पांच प्राचार्य जो कार्य परिषद् के सदस्य न हों;	सदस्य
(घ) विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट उस विश्वविद्यालय का एक विभागाध्यक्ष;	सदस्य

(3) उपधारा (2) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि एक वर्ष होगी।

22—(1) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे, अर्थात्—

वित्त समिति

(क) कुलपति	अध्यक्ष
(ख) वित्त विभाग में राज्य सरकार का सचिव	सदस्य

(ग) पशुपालन एवं मत्स्य विभाग में राज्य सरकार का सचिव	सदस्य
(घ) कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट कार्य परिषद् के दो सदस्य	सदस्य
(ड.) वित्त अधिकारी	सदस्य/सचिव

(2) वित्त समिति कार्य परिषद् को विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और निधियों के प्रशासन से सम्बद्ध विषयों पर सलाह देगी। वह विश्वविद्यालय की आय और साधनों को ध्यान में रखते हुए आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कुल आवर्ती और अनावर्ती व्यय की सीमा नियत करेगी और किन्हीं विशेष कारणों से वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार नियत व्यय की सीमा को पुनरीक्षित कर सकती है, और इस प्रकार नियत सीमा कार्य परिषद् पर आवद्धकर होगी।

(3) वित्त समिति की ऐसी अन्य शक्तियां और कर्तव्य होंगे जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त हो या उस पर अधिरोपित किये जायं।

(4) जब तक कि वित्तीय निहितार्थ वाले किसी प्रस्ताव की वित्त समिति द्वारा सिफारिश न की जाय, कार्य परिषद् उस पर कोई विनिश्चय नहीं करेगी और यदि कार्य परिषद् वित्त समिति की सिफारिशों से असहमत हो तो वह निर्दिष्ट प्रस्ताव को अपनी असहमति के कारणों के साथ वित्त समिति को वापस करेगी और यदि कार्य परिषद् पुनः वित्त समिति की सिफारिशों से असहमत हो तो मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायगा जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

परीक्षा समिति

23—(1) विश्वविद्यालय में एक परीक्षा समिति होगी जो परिनियमों में यथाउपबन्धित रूप में गठित की जायगी।

(2) समिति सामान्यतया विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं का, जिसके अन्तर्गत अनुसीमन और सारणीकरण भी है, पर्यवेक्षण करेगी और निम्नलिखित अन्य कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात्—

(क) परीक्षकों और अनुसीमकों को नियुक्त करना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना;

(ख) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के परिणामों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और उनके बारे में विद्या परिषद् को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

(ग) परीक्षा की पद्धति में सुधार के लिए विद्या परिषद् को सिफारिश करना।

(घ) परीक्षकों की सूची को अन्तिम रूप देना और विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणामों की घोषणा करना।

(3) परीक्षा समिति उतनी उपसमितियां नियुक्त कर सकती है जितनी वह उचित समझे और विशिष्टतया किसी एक या अधिक व्यक्तियों या उपसमितियों को परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग करने से सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने और उन पर विनिश्चय करने की शक्ति प्रत्यायोजित कर सकती है।

(4) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी किसी परीक्षा समिति या यथा स्थिति, किसी उपसमिति या किसी व्यक्ति के लिए, जिसे परीक्षा समिति ने उपधारा (3) के अधीन इस निमित्त अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन किया हो, किसी को विश्वविद्यालय की भावी परीक्षाओं से विवर्जित करना विधिपूर्वक होगा यदि उसकी राय में ऐसा परीक्षार्थी किसी परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग करने का दोषी हो।

(5) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, परीक्षा समिति परीक्षाओं के संचालन की व्यवस्था करने के लिए ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जैसा वह आवश्यक समझे।

24— विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन, उनकी शक्तियां और कर्तव्य वही होंगे, जो विहित किये जायें। **अन्य प्राधिकारी**

अध्याय—छह

महाविद्यालयों की सम्बद्धता

25—(1) कार्य परिषद्, कुलाधिपति की पूर्व मंजूरी से सम्बद्धता की ऐसी शर्तों को, जो विहित की जायें, पूरा करने वाले महाविद्यालय की सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान कर सकेगी या पहले से ही सम्बद्ध किसी महाविद्यालय के विशेषाधिकार को बढ़ा सकेगी या किसी ऐसे विशेषाधिकार को वापस ले सकेगी या उसमें कमी कर सकेगी।

महाविद्यालयों की सम्बद्धता

(2) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के लिए उसी स्थानीय क्षेत्र में स्थित किसी अन्य सम्बद्ध महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से अध्यापन या अनुसंधान कार्य में सहयोग प्राप्त करने की व्यवस्था करना विधिपूर्ण होगा।

(3) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों द्वारा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबन्धतन्त्र महाविद्यालय के कार्यकलापों का प्रबन्ध और नियन्त्रण करने के लिए स्वतन्त्र होगा और उसके पोषण तथा रख-रखाव के लिए उत्तरदायी होगा और उसका प्राचार्य उसके छात्रों में अनुशासन बनाये रखने तथा उसके कर्मचारिबृन्द पर अधीक्षण तथा नियन्त्रण के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय ऐसी रिपोर्ट विवरणियां तथा अन्य विशिष्टियां प्रस्तुत करेगा जिन्हें कार्य परिषद् या कुलपति मांगे।

(5) कार्य परिषद्, प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय का अपने द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत एक या एकाधिक व्यक्तियों से समय-समय पर पांच वर्ष से अनधिक अन्तरालों पर निरीक्षण करायेगी और निरीक्षण की रिपोर्ट कार्य परिषद् को भेजी जायेगी।

(6) कार्य परिषद्, इस प्रकार निरीक्षित किसी सम्बद्ध महाविद्यालय को ऐसी अवधि के भीतर जो विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसी कार्यवाही करने के लिये निर्देश दे सकेगी जो उसे आवश्यक प्रतीत हो।

(7) कार्य परिषद् द्वारा, किसी ऐसे महाविद्यालय की सम्बद्धता का विशेषाधिकार जो उपधारा (6) के अधीन कार्य परिषद् के किसी निर्देश का अनुपालन करने में या सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करने में असफल हो, महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र से उस विषय पर रिपोर्ट लेने के बाद कुलाधिपति की पूर्व मंजूरी से परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार वापस लिया जा सकेगा या कम किया जा सकेगा।

(8) उपधारा (1) और (7) में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी सम्बद्ध महाविद्यालय, का प्रबन्धतन्त्र सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करने में असफल रहा हो तो कुलाधिपति, प्रबन्धतन्त्र और कुलपति से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् सम्बद्धता के विशेषाधिकार को वापस ले सकेगा या उसमें कमी कर सकेगा।

26—(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ को और से, उत्तर प्रदेश पशुचिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, मथुरा, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर का घटक महाविद्यालय नहीं रह जायगा और वह विश्वविद्यालय का घटक महाविद्यालय होगा।

घटक महाविद्यालय

(2) विश्वविद्यालय ऐसे अन्य घटक महाविद्यालय स्थापित कर सकता है जैसा वह आवश्यक और समीचीन समझे।

प्रबन्धतन्त्र की
सदस्यता के
लिए अनर्हताएं

27—(1) कोई भी व्यक्ति (केवल राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पोषित विद्यालय से भिन्न किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रबन्ध तंत्र का सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिये निरहर्त होगा, यदि वह या उसका नातेदार ऐसे महाविद्यालय में या उसके निमित्त किसी काम के लिये कोई परिश्रमिक या ऐसे महाविद्यालय को माल का प्रादाय करने के लिये या उसके निमित्त किसी संकर्म का निष्पादन करने के लिये कोई संविदा स्वीकार करता है।

स्पष्टीकरण— पद “नातेदार” का वही अर्थ होगा जो उसके लिये धारा 19 की उपधारा (4) के स्पष्टीकरण में दिया गया है।

निरीक्षण और
जांच

28—(1) राज्य सरकार को किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जैसा वह निदेश दे, किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के, जिसके अन्तर्गत उसका भवन, प्रयोगशाला तथा उपस्कर भी है और महाविद्यालय द्वारा संचालित या ली गयी परीक्षा, अध्यापन कार्य तथा अन्य काम का निरीक्षण कराने अथवा ऐसे महाविद्यालय के प्रशासन या वित्त से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में जांच कराने का अधिकार होगा।

(2) यदि राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच कराने के विनिश्चय करे तो वह उसकी सूचना सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र को देगी और प्रबन्धतन्त्र द्वारा नियुक्त एक प्रतिनिधि तथा यदि प्रबन्धतन्त्र कोई प्रतिनिधि नियुक्त करने में असफल रहे तो महाविद्यालय का प्राचार्य ऐसे निरीक्षण या जांच के समय उपस्थित हो सकता है और उसे प्रबन्धतन्त्र की ओर से सुनवाई का अधिकार होगा। किन्तु ऐसे निरीक्षण या जांच के समय महाविद्यालय की ओर से कोई विधि व्यवसायी न तो उपस्थित होगा न अभिवचन करेगा और न कोई कार्य करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच करने के लिए नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद पर विचार करते समय शपथ पर साक्ष्य लेने और साक्षियों के उपस्थित होने के लिए तथा दस्तावेजों और सारवान वस्तुओं को प्रस्तुत करने के लिए मजबूर करने के लिए प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 तथा 346 के अर्थान्तर्गत सिविल न्यायालय समझा जायेगा और उसके या उनके समक्ष कोई भी कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी।

(4) राज्य सरकार सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र को ऐसे निरीक्षण या जांच का परिणाम संसूचित कर सकेगी और की जाने वाली कार्यवाही के संबन्ध में निदेश दे सकेगी और प्रबन्धतंत्र ऐसे निदेशों का तत्काल अनुपालन करेगा।

(5) राज्य सरकार उपधारा (4) के अधीन प्रबन्धतंत्र को दी गयी संसूचना के बारे में कुलपति को जानकारी देगी और कुलपति कार्यपरिषद् को राज्य सरकार के दृष्टिकोण और उस पर की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सलाह को संसूचित करेगा।

(6) तत्पश्चात् कुलपति ऐसे समय के भीतर जैसा राज्य सरकार निर्धारित करे उसे कार्यपरिषद् द्वारा की गयी या की जाने वाली कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(7) यदि विश्वविद्यालय के प्राधिकारी युक्तियुक्त समय के भीतर राज्य सरकार के समाधानप्रद रूप में कार्यवाही नहीं करते हैं तो राज्य सरकार ऐसे किसी स्पष्टीकरण पर जिसे विश्वविद्यालय के प्राधिकारी प्रस्तुत करें, विचार करने के पश्चात् ऐसे निर्देश दे सकती है जैसा वह उचित समझे और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी ऐसे निर्देश से वाध्य होंगे।

(8) राज्य सरकार किसी भी समय किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र या प्राचार्य से ऐसे निरीक्षण या जांच के सम्बन्ध में कोई जानकारी मांग सकेगी।

29— विश्वविद्यालय, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, किसी विषय में शिक्षण एवं अनुसंधान कार्य के संगठन तथा संचालन हेतु एक या एकाधिक संस्था स्थापित कर सकेगा।

संस्थान

30— किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र से सम्बन्धित कोई व्यक्ति और उसका कोई प्राचार्य या अन्य अध्यापक या अन्य कर्मचारी ऐसे महाविद्यालय में प्रवेश देने या प्रवेश के पश्चात् पूर्ववत् रहने की अनुज्ञा देने की शर्त के रूप में किसी छात्र से या उसकी ओर से परिनियमावली में निर्धारित दर पर फीस के सिवाय, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कोई अंशदान, दान, फीस या किसी प्रकार का कोई अन्य संदाय, चाहे वह नकद हो या वस्तु के रूप में, न लेगा, न प्राप्त करेगा और न लेने या प्राप्त करने देगा।

महाविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए कोई दान आदि प्रसारित करने पर रोक

31— जहां किसी सम्बद्ध महाविद्यालय द्वारा जिसमें राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय भी सम्मिलित हैं, अंशदान या दान, चाहे वह नकद हो या वस्तुरूप में, लिया या प्राप्त किया जाता है, वहां इस प्रकार प्राप्त अंशदान या दान का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए वह महाविद्यालय को दिया गया हो और राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय की दशा में कोई नकद अंशदान या दान उस संस्था के वैयक्तिक खाते में जमा किया जायेगा जिसका संचालन राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार किया जायगा।

महाविद्यालय को अंशदान और दान

अध्याय—सात

अध्यापकों और अधिकारियों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें

32—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के अध्यापक और सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापक राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय से भिन्न कार्य परिषद् या सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर एतत्पश्चात् उपबन्धित रीति से नियुक्त किये जायेंगे। चयन समिति की बैठक उतनी बार होगी जितनी आवश्यक हो।

अध्यापकों की नियुक्ति

(2) प्रत्येक ऐसे अध्यापक, निदेशक तथा प्राचार्य की नियुक्ति जो उपधारा (3) के अधीन की गयी नियुक्ति न हो, प्रथमतः एक वर्ष के लिए परीक्षा पर होगी जिसे एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु परीक्षा की अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर, सेवा समाप्ति का कोई आदेश पारित नहीं किया जायगा जब तक कि,—

(क) विश्वविद्यालय के अध्यापक की दशा में, कुलपति और सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, जब तक कि अध्यापक स्वयं विभागाध्यक्ष न हो, की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् कार्यपरिषद् आदेश न दे दे;

(ख) सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य की दशा में प्रबन्धतन्त्र आदेश न दे दे; और

(ग) सम्बद्ध महाविद्यालय किसी अन्य अध्यापक की दशा में प्राचार्य उस विषय के ज्येष्ठतम अध्यापक, जब तक कि ऐसा अध्यापक उस विषय का ज्येष्ठतम अध्यापक न हो, की रिपोर्ट पर भी विचार करने के पश्चात् प्रबन्धतन्त्र आदेश न दे दे :

परन्तु यह और कि सम्बद्ध अध्यापक को प्रस्तावित सेवा समाप्ति के आधारों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण का अवसर देते हुए नोटिस दिये बिना, सेवा समाप्ति का ऐसे कोई आदेश नहीं दिया जायेगा:

परन्तु यह भी कि यदि, यथास्थिति, परीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परीक्षा अवधि की समाप्ति के पूर्व नोटिस दी जाय तो परीक्षा अवधि तब तक के लिए बढ़ जायेगी जब तक कि प्रथम परन्तुक के खण्ड (क) के अधीन कार्यपरिषद् का अन्तिम

आदेश या यथास्थिति, जब तक कि धारा 37 के अधीन कुलपति के अनुमोदन की संसूचना सम्बद्ध अध्यापक को न दे दी जाय।

(3) (क) आचार्य से भिन्न विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की दशा में, संकाय के संकायाध्यक्ष और सम्बद्ध विभागाध्यक्ष और कुलाधिपति द्वारा इस निमित्त नामनिर्दिष्ट एक विशेषज्ञ के परामर्श से, कुलपति और सम्बद्ध महाविद्यालय के किसी अध्यापक की दशा में कुलपति द्वारा इस निमित्त नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ के परामर्श से प्रबन्धतन्त्र किसी अध्यापक की छुट्टी मन्जूर किये जाने के कारण हुई रिक्त पर चयन समिति को निर्देश किये बिना दस मास से अनधिक की कालावधि के लिए स्थानापन्न नियुक्ति कर सकेगी किन्तु अन्य रिक्ति या पद जिसको छः मास से अधिक की कालावधि के लिए होना सम्भाव्य हो, ऐसे निर्देश के बिना नहीं भरेगी।

(ख) जहां इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् कोई अध्यापक, चयन समिति को निर्देश देने के पश्चात् ऐसे अस्थायी पद पर नियुक्त किया जाता है जिसके छः मास से अधिक चलते रहना सम्भाव्य हो, और तत्पश्चात् ऐसे स्थायी पद के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, या किसी स्थायी पद पर ऐसे रिक्ति में नियुक्त किया जाता है, जो पदधारी हो दस मास से अधिक अवधि के लिए छुट्टी देने के कारण हुई हो और ऐसा पद बाद में स्थायी रूप में रिक्त हो जाता है या उसी विभाग में उसी संवर्ग और श्रेणी को कोई अन्य पद रिक्त या नवसृजित किया जाता है वहां, यथास्थिति, कार्यपरिषद् या प्रबन्धतन्त्र, यदि कारण बताने का अवसर देने के पश्चात् उसकी सेवा समाप्त करने का विनिश्चय नहीं करता तो ऐसे अध्यापक को उस पद पर अधिष्ठायी रूप से, चयन समिति को निर्देश किए बिना नियुक्त कर सकेगा :

परन्तु यह खण्ड तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि अध्यापक, ऐसे अधिष्ठायी नियुक्ति के समय, उस पद के लिए विहित अर्हतायें धारण न करता हो और चयन समिति को निर्देश किए जाने के पश्चात् हुई नियुक्ति के बाद उसने लगातार एक वर्ष तक काम न किया हो :

परन्तु यह और कि इस खण्ड के अधीन अधिष्ठायी रूप में नियुक्त कोई ऐसा अध्यापक जिसने ऐसी नियुक्ति के पूर्व दो वर्ष से कम अवधि पर्यन्त लगातार काम किया जो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा जिसे एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है और उपधारा (2) के उपबन्ध तदनुसार लागू होंगे।

(4) (क) विश्वविद्यालय के अध्यापक, किसी संस्थान के निदेशक या घटक महाविद्यालय के प्राचार्य से भिन्न की नियुक्ति के लिए चयन समिति में निम्नलिखित होंगे—

(एक) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा;

(दो) सम्बद्ध विभागाध्यक्ष;

परन्तु विभागाध्यक्ष उस दशा में चयन समिति में नहीं बैठेगा जब वह स्वयं नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी हो या जब सम्बद्ध पद उसके अधिष्ठायी पद से पंक्ति में ऊंचा हो, और ऐसी दशा में उसका पद विभाग के आचार्य द्वारा और यदि कोई आचार्य नहीं है तो संकायाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा :

परन्तु यह और कि जहां कुलाधिपति का यह समाधान हो जाय कि मामले की विशेष परिस्थितियों में पूर्ववर्ती परन्तुक के अनुसार चयन समिति का गठन नहीं किया जा सकता है, वहां वह ऐसी रीति से चयन समिति का गठन करने का निर्देश दे सकेगा जैसी वे उचित समझे।

(तीन) किसी आचार्य या उपाचार्य, की दशा में तीन विशेषज्ञ, और किसी अन्य दशा में दो विशेषज्ञ जो कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(चार) किसी संस्थान या किसी घटक महाविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति की दशा में, यथास्थिति, संस्थान का निदेशक या घटक महाविद्यालय का प्राचार्य।

(ख) संस्थान के निदेशक या घटक महाविद्यालय के प्राचार्य की नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में निम्नलिखित होंगे :-

(एक) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा;

(दो) दो विशेषज्ञ, जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे।

(ग) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय, राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय से भिन्न, के प्राचार्य की नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में निम्नलिखित होंगे :-

(एक) प्रबन्धतन्त्र का अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रबन्धतन्त्र का एक सदस्य जो अध्यक्ष होगा;

(दो) उन संकायों के जिनसे सम्बद्ध विषय महाविद्यालय में पढ़ाये जाते हों, संकायाध्यक्षों या आचार्यों में से कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक संकायाध्यक्ष या आचार्य;

(तीन) प्रबन्ध समिति का एक सदस्य, जो प्रबन्ध समिति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा; और

(चार) दो विशेषज्ञ, जो कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे :

परन्तु किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के आचार्य की नियुक्ति की दशा में संकायों का संकायाध्यक्ष, यदि वह स्वयं उस महाविद्यालय का अध्यापक हो, चयन समिति में नहीं बैठेगा :

परन्तु यह और कि संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित तथा प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में, प्रबन्धतन्त्र द्वारा विशेषज्ञ ऐसे पांच विशेषज्ञों के पैनल में से नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे जिनके लिए प्रबन्धतन्त्र ने सुझाव दिया हो और कुलपति ने अनुमोदन कर दिया हो :

परन्तु यह भी कि पूर्ववर्ती परन्तुक में निर्दिष्ट महाविद्यालयों की दशा में, संकायाध्यक्ष या आचार्य भी, जो उपखण्ड (2) के अधीन चयन समिति के सदस्य होंगे, उन पांच संकायाध्यक्षों या आचार्यों के पैनल में से, जिनके लिए प्रबन्धतन्त्र ने सुझाव दिया हो और कुलपति ने अनुमोदन कर दिया हो, भी प्रबन्धतन्त्र द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे, और यदि ऐसे संकायाध्यक्ष या आचार्य अपेक्षित संख्या में उपलब्ध न हों तो सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों का नाम पैनल में सम्मिलित किया जा सकेगा।

(घ) राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय से भिन्न, किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के अन्य अध्यापकों की नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में निम्नलिखित होंगे :-

(एक) प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष, या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रबन्ध समिति का एक सदस्य, जो उसका अध्यक्ष होगा;

(दो) महाविद्यालय का प्राचार्य और प्राचार्य द्वारा नामनिर्दिष्ट महाविद्यालय का एक और अध्यापक;

(तीन) दो विशेषज्ञ, जो कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे :

परन्तु किसी ऐसे महाविद्यालय की दशा में जिसमें उपखण्ड (2) के अधीन चयन समिति का सदस्य होने के लिए कोई प्राचार्य या अन्य अध्यापक उपलब्ध न हो, चयन समिति इस खण्ड में निर्दिष्ट शेष सदस्यों से गठित होगी :

परन्तु यह और कि संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में प्रबन्धतन्त्र द्वारा विशेषज्ञ ऐसे पांच विशेषज्ञों के पैनल में से नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे जिनके लिए प्रबन्धतन्त्र में सुझाव दिया हो और कुलपति ने अनुमोदन कर दिया हो।

(5) (क) प्रत्येक पाठ्य विषय के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों के तत्स्थानीय संकाय या उत्तर प्रदेश में या उसके बाहर स्थित ऐसे विद्या निकायों या अनुसंधान संस्थाओं से जिन्हें कुलपति आवश्यक समझे, परामर्श करने के पश्चात् कुलाधिपति छः या उससे अधिक विशेषज्ञों का एक पैनल बनायेगा।

उपधारा (4) के अधीन कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाला, प्रत्येक विशेषज्ञ वही व्यक्ति होगा जिसका नाम ऐसे पैनल में दिया हो।

(ख) प्रत्येक संकाय का बोर्ड प्रत्येक पाठ्य विषय के लिए सोलह या उससे अधिक विशेषज्ञों का एक स्थायी पैनल बनायेगा, और उपधारा (4) के अधीन कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाला प्रत्येक विशेषज्ञ वही व्यक्ति होगा जिसका नाम ऐसे पैनल में दिया हो।

(ग) खण्ड (क) या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कोई पैनल तीन वर्ष के पश्चात् पुनरीक्षित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण – 1— इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे विषय की शाखा को जिसमें स्नातकोत्तर उपाधि या उसके भाग-1 या 2 के लिए पृथक पाठ्यक्रम विहित हो, पृथक पाठ्य विषय समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण –2— जहां चयन किये जाने वाले अध्यापक का पद एक से अधिक पाठ्य विषय के लिए हो तो विशेषज्ञ उनमें से किसी एक पाठ्य विषय का हो सकेगा।

(घ) यथास्थिति, कुलाधिपति या कुलपति, चयन समिति में अपने नाम निर्देशितियों के रूप में कार्य करने के लिए विशेषज्ञों के उतने नामों से अधिक नाम, जो उपधारा (4) के अधीन अपेक्षित हैं, विनिर्दिष्ट आदेश में संसूचित कर सकेगा। ऐसे मामले में जब कोई व्यक्ति जिसका नाम विनिर्दिष्ट क्रम में ऊपर दिया गया हो, चयन समिति के अधिवेशन के लिए उपलब्ध न हो तो उस व्यक्ति से, जिसका नाम विनिर्दिष्ट क्रम में उसके ठीक नीचे हो, समिति में कार्य करने के लिए अनुरोध किया जायेगा।

(6) उपधारा (4) में निर्दिष्ट चयन समिति द्वारा की गयी किसी सिफारिश को तब तक विधिमान्य नहीं समझा जायेगा जब तक कि विशेषज्ञों में से एक विशेषज्ञ ऐसे चयन से सहमत न हो।

(7) उपधारा (6) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी चयन समिति की कुल सदस्यता के बहुमत से ऐसी समिति की गणपूर्ति होगी:

परन्तु आचार्य या उपाचार्य के मामले में गणपूर्ति के लिए उपस्थित व्यक्तियों में कम से कम दो विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे।

(8) यह चयन समिति पर निर्भर होगा कि वह प्रत्येक पद के लिए एक या एकाधिक किन्तु तीन से अनधिक सिफारिश करे।

(9) (क) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की नियुक्ति की दशा में यदि कार्य परिषद् चयन समिति द्वारा की गयी सिफारिश से सहमत न हो तो कार्य परिषद् उस मामले को ऐसी असहमति के कारणों सहित कुलाधिपति को निर्दिष्ट करेगी और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा :

परन्तु यह कि यदि कार्य परिषद् चयन समिति के अधिवेशन के दिनांक से चार मास की अवधि के भीतर समिति की सिफारिशों पर विनिश्चय नहीं करती है तो भी मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट माना जायगा, और उनका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(ख) जहां खण्ड (क) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कार्य परिषद् द्वारा विनिश्चय करने की विफलता कार्य परिषद् के किसी दोष के कारण न हो तो कुलाधिपति कार्य परिषद् से ऐसे समय के भीतर जैसा कुलाधिपति समय-समय पर अनुमति दें,

विनिश्चय करने की अपेक्षा कर सकता है और कुलपति को इस प्रयोजन से कार्य परिषद् की बैठक बुलाने का निर्देश दे सकता है;

परन्तु—

(एक) यदि कार्य परिषद् चयन समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से सहमत नहीं है तो कार्य परिषद् ऐसी असहमति के कारणों सहित मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट करेगी और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(दो) यदि कार्य परिषद् कुलाधिपति द्वारा अनुमत समय के भीतर विनिश्चय नहीं करती है तो कुलाधिपति मामले का विनिश्चय करेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(ग) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापक की नियुक्ति की दशा में यदि प्रबन्धतंत्र चयन समिति द्वारा की गयी सिफारिश से सहमत न हो तो प्रबन्धतंत्र उस मामले को असहमति के कारणों सहित कुलपति को निर्दिष्ट करेगी और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा:

परन्तु संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापक की नियुक्ति की दशा में, यदि प्रबन्ध तंत्र चयन समिति द्वारा की गयी सिफारिश से सहमत न हो तो प्रबन्धतंत्र को एक अन्य समिति नियुक्त करने का अधिकार होगा और उस समिति का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(10) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और ऐसे सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्यों तथा अन्य अध्यापकों की नियुक्ति के लिए चयन समिति के सदस्यों की, ऐसी समितियों के विचार विमर्श में भाग लेने में हित होने के आधार पर अनर्हता और ऐसे प्राचार्यों और अध्यापकों की नियुक्ति से संबन्धित अन्य विषय परिनियमों द्वारा विहित किये जायेंगे।

(11) इस धारा के अधीन किसी नियुक्ति के लिए चयन तब तक नहीं किया जायगा, जब तक वह रिक्ति कम से कम दो ऐसे समाचार-पत्रों के तीन अंकों में विज्ञापित न कर दी जाय जिसका उत्तर प्रदेश में पर्याप्त परिचालन हो।

(12) (क) सम्बद्ध महाविद्यालय, जो राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय से भिन्न हो, का प्रबन्धतंत्र चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये किसी अध्यापक को तब तक नियुक्त नहीं करेगा जब तक कि कुलपति का पूर्वानुमोदन न ले लिया जाय।

(ख) प्रबन्धतंत्र, चयन समिति के अधिवेशन के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र अन्य सुसंगत दस्तावेजों के साथ समिति की सिफारिशें अनुमोदन के लिए कुलपति को प्रस्तुत करेगा।

(ग) कुलपति, यदि उनका समाधान हो जाय कि चयन समिति द्वारा सिफारिश किया गया अभ्यर्थी विहित न्यूनतम अर्हता तथा अनुभव नहीं रखता है या अध्यापक के चयन के लिए अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, प्रबन्धतंत्र को अपनी अस्वीकृति की सूचना देगा :

परन्तु यह कि यदि कुलपति खण्ड (ख) में निर्दिष्ट दस्तावेज की प्राप्ति के दिनांक से एक मास की अवधि के भीतर अपनी अस्वीकृति की सूचना नहीं देता है, या प्रबन्धतंत्र को उसके संबंध में कोई भी सूचना नहीं भेजता है तो यह समझा जायगा कि उसने प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।

(13) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी कार्य परिषद् कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से, या प्रबन्धतंत्र कुलपति के पूर्वानुमोदन से अध्यापक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर, किसी ऐसे सरकारी सेवक को नियुक्त कर सकता है जो पद के लिए विहित अर्हताएं रखता हो।

विश्वविद्यालय के
अध्यापकों की
वैयक्तिक
पदोन्नति

33—(1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय में धारा 32 के अधीन नियुक्त किसी प्राध्यापक या विश्वविद्यालय में धारा 32 के अधीन नियुक्त या इस धारा के अधीन प्रोन्नत किसी उपाचार्य की जिसकी उतनी सेवा की अवधि हो और जो ऐसी अर्हताएं रखता हो जैसी विहित की जायं कमशः उपाचार्य या आचार्य के पद पर वैयक्तिक पदोन्नति दी जा सकती है।

(2) ऐसी वैयक्तिक पदोन्नति धारा 32 की उपधारा (4) के खण्ड (क) के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिश पर ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी विहित की जायं, दी जायंगी।

(3) इस धारा की किसी बात का कोई प्रभाव धारा 32 के उपबन्धों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले विद्यालय के अध्यापकों के पदों पर नहीं पड़ेगा।

विश्वविद्यालय के
अध्यापकों की
नियुक्ति संविदा

34—(1) परिनियमों द्वारा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय—विश्वविद्यालय का कोई वैतनिक अधिकारी और अध्यापक सिवाय ऐसी लिखित संविदा के जो इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार होगी, नियुक्त नहीं किया जायगा।

(2) मूल संविदा कुल-सचिव के पास रखी जायेगी और उसकी एक प्रतिलिप संबंधित अधिकारी या अध्यापक को दी जायेगी।

(3) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व नियोजित किसी अधिकारी या अध्यापक की दशा में इस प्रकार प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी संविदाएं उस विस्तार तक जहां तक वे इस अधिनियम या परिनियमों के उपबन्धों से असंगत हों, उक्त उपबन्धों द्वारा उपान्तरित समझी जायेंगी।

पेंशन, भविष्य
निधि आदि

35 — विश्वविद्यालय और प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय अपने अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जांच, ऐसी पेंशन, बीमा या भविष्य निधि गठित करेगा, जैसे वह ठीक समझे, जिसके अन्तर्गत एक ऐसी निधि भी है जिसे ऐसे अध्यापकों या यथास्थिति उनके उत्तराधिकारियों को, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (परीक्षा संचालन सम्बन्धी उपबन्ध) अधिनियम, 1965 में यथापरिभाषित केन्द्र के अधीक्षक या अन्तरीक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के सम्बन्ध में निर्योग्य, आहत या मृत्यु हो जाने की दशा में पेंशन या उपदान दिया जायगा।

अध्यापकों के
पारिश्रमिकीय
अतिरिक्त काम की
अनुज्ञेय सीमा

36—(1) विश्वविद्यालय या सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापकों को किसी भारतीय विश्वविद्यालय या लोक सेवा आयोग से भिन्न किसी निकाय द्वारा संचालित किसी परीक्षा के संबंध में किये गये किन्हीं कर्तव्यों के लिए पारिश्रमिक के संदाय संबंधी शर्तें वही होगी जो विहित की जायं।

(2) विश्वविद्यालय या सम्बद्ध महाविद्यालय का कोई अध्यापक, अध्यापक सम्बन्धी कर्तव्यों या किसी परीक्षा संबंधी कर्तव्यों से भिन्न कर्तव्यों वाला एक से अधिक पारिश्रमिकीय पद धारण नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण— “पारिश्रमिकीय पद” शब्दों के अन्तर्गत छात्र निवास या छात्रावास के वार्डन या अधीक्षक, प्राक्टर, क्रीडाधीक्षक, पुस्तकाध्यक्ष और नेशनल कैटेड कोर, राष्ट्रीय खेलकूद संगठन, राष्ट्रीय समाज सेवा स्कीम तथा विश्वविद्यालय रोजगार कार्यालय में कोई पद भी है।

सरकार या स्थानीय
प्राधिकारी द्वारा
पोषित
महाविद्यालयों तथा
से भिन्न सम्बद्ध
महाविद्यालयों के
अध्यापकों की सेवा
की शर्तें

37—(1) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का, जो राज्य सरकार द्वारा अनन्यतः पोषित महाविद्यालय से भिन्न हो, प्रत्येक अध्यापक लिखित संविदा के अन्तर्गत नियुक्त किया जायगा जिसमें ऐसे निबन्धन शर्तें होंगी, जो विहित की जायं। संविदा विश्वविद्यालय के पास रखी जायेगी और उसकी एक प्रतिलिपिसंबंधित अध्यापक को दे दी जायगी और उसकी दूसरी प्रतिलिपि संबंधित महाविद्यालय द्वारा रखी जायगी।

(2) ऐसे महाविद्यालय के प्रबंधतंत्र का किसी अध्यापक को पदच्युत करने या हटाने अथवा उसे पंक्तिच्युत करने या उसे किसी अन्य रीति से दण्ड देने के लिए किया गया, प्रत्येक विनिश्चय उसे संसूचित किये जाने के पूर्व कुलपति को रिपोर्ट किया जायगा और वह तब तक प्रभावी न होगा जब तक कुलपति उसका अनुमोदन न कर दे :

परन्तु संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में, प्रबंधतंत्र को किसी अध्यापक को पदच्युत करने, पद से हटाने अथवा उसे पंक्तिच्युत करने या उसे किसी अन्य रीति से दण्ड देने के लिए किये गये विनिश्चय के लिए कुलपति का अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा किन्तु उसे विनिश्चय की सूचना दी जायगी और जब तक उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि इस निमित्त विहित प्रक्रिया का पालन किया गया है। तब तक विनिश्चय लागू नहीं किया जायगा।

(3) उपधारा (2) के उपबन्ध किसी अध्यापक की सेवा को समाप्त करने के, किसी विनिश्चय पर भी, चाहे वह दण्ड के रूप में हो या अन्यथा हो, लागू होंगे, किन्तु वह उस कालावधि के व्यतीत हो जाने पर, जिसके लिए अध्यापक नियुक्त किया गया हो, सेवा समाप्ति के संबंध में लागू न होंगे :

परन्तु संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में प्रबंधतंत्र के किसी अध्यापक की सेवा को समाप्त करने के विनिश्चय के लिए कुलपति का अनुमोदन अपेक्षित न होगा, उसे विनिश्चय की सूचना दी जायेगी और जब तक उसका समाधान न हो जाय कि इस निमित्त विहित प्रक्रिया का पालन किया गया है तब तक विनिश्चय प्रभावी नहीं किया जाएगा।

(4) उपधारा (2) की कोई बात जांच के दौरान निलम्बन के आदेश पर, लागू नहीं समझी जायगी, किन्तु कुलपति द्वारा ऐसा कोई आदेश स्थगित, प्रतिसंहत या उपान्तरित किया जा सकेगा:

परन्तु संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित महाविद्यालयों के दशा में ऐसा आदेश कुलपति द्वारा तभी स्थगित प्रतिसंहत या उपान्तरित किया जा सकेगा जब ऐसे निलम्बन के लिए विहित शर्तें पूरी न की गयी हों।

(5) ऐसे महाविद्यालयों के अध्यापकों की सेवा की अन्य शर्तें वही होगी जो विहित की जायं।

अध्याय—आठ

परिनियम

38—(1) विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा बनाये जायेंगे। परिनियम कैसे बनाये जायेंगे

(2) कार्य परिषद् समय—समय पर नये और अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी, या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगी:

परन्तु कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी वर्तमान प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्तियों या गठन को प्रभावित करने वाला कोई परिनियम तब तक नहीं बनायेगी, उसका संशोधन नहीं करेगी या उसका निरसन नहीं करेगी जब तक ऐसे प्राधिकारी को प्रस्ताव पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार अभिव्यक्त कोई राय लिखित रूप में होगी और उस पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किया जायगा।

(3) पूर्ववर्ती उपधाराओं में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार अध्ययन, अध्यापन या अनुसंधान के हित में विश्वविद्यालय, अनुदान आयोग के किसी सुझाव या सिफारिश या राज्य या राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर अपने द्वारा किये गये किसी विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिए कार्य परिषद् से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नये या अतिरिक्त परिनियम बनाने या उपधारा (1) में या उपधारा (2) में निर्दिष्ट परिनियमों को संशोधित करने या निरसित करने की अपेक्षा कर सकेगी और यदि कार्य परिषद् ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करने में विफल रहे तो राज्य सरकार नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी या उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगी।

परिनियम

39—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिनियमों में विश्वविद्यालय से संबंधित किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे और विशिष्टतया निम्नलिखित उपबन्ध किये जायेंगे:—

(क) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति उनकी शक्तियां और उनके कर्तव्य;

(ख) विश्वविद्यालय के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए पेंशन या भविष्य निधि गठन या बीमा स्कीम की स्थापना;

(ग) सम्मानार्थ उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(घ) उपाधियों और अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं को वापस लेना;

(ङ.) वे शर्तें जिनके अधीन महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान किया जाय और वे शर्तें जिनके अधीन कोई ऐसा विशेषाधिकार वापस लिया जा सके।

(च) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधियां और अन्य शैक्षिक विशिष्टताएं और उनके लिए अर्हताएं और उसे प्रदान करने या प्राप्त करने के संबंध में ली जाने वाली धनराशि;

(छ) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए और परीक्षा में प्रवेश, उपाधियों और विश्वविद्यालय की अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं के लिए जी जाने वाली फीस;

(ज) अधिछात्रवृत्तियां, छात्रवृत्तियां, विद्यावृत्तियां, छात्र सहायता वृत्तियां, पदक और पारितोषिक प्रदान करने की शर्तें;

(झ) परीक्षाओं का संचालन जिनके अन्तर्गत परीक्षण निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों के पद की शर्तें और उनके नियुक्ति की रीति और कर्तव्य भी है;

(ञ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों (कुलाधिपति को छोड़कर) और कर्मचारियों को हटाने की शक्ति और उनकी परिलब्धियां और सेवा के निबन्धन और शर्तें;

(ट) अन्य सभी विषय जो इस अधिनियम द्वारा परिनियमों में उपबन्धित किये जाने हों या किये जा सकेंगे।

अध्याय—नौ

वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा

वार्षिक प्रतिवेदन

40—(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन कार्य परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार किया जायगा जिसके अन्तर्गत अन्य विषयों के साथ, विश्वविद्यालय द्वारा उसके उद्देश्यों की पूर्ति की दशा में किये गये उपाय होंगे।

(2) इस प्रकार तैयार किया गया वार्षिक प्रतिवेदन कुलाधिपति को ऐसे दिनांक को या उसके पूर्व प्रस्तुत किया जायगा जो विहित किया जाय।

(3) उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार तैयार किये गये वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायगी।

41—(1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेख और तुलनपत्र कार्यपरिषद् के निदेशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें राज्य सरकार इस निमित्त प्राधिकृत करे। प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार और पन्द्रह मास से अनधिक के अन्तरालों पर उनकी लेखा परीक्षा की जायेंगी।

लेखा और
लेखा परीक्षा

(2) वार्षिक लेखा और तुलनपत्र की एक प्रति उस पर लेखा परीक्षा के प्रतिवेदन सहित राज्य सरकार को कार्य परिषद् के संप्रेक्षणों, यदि कोई हो, के साथ प्रत्येक वर्ष तीस सितम्बर के पूर्व प्रस्तुत की जायेंगी।

(3) वार्षिक लेखाओं पर राज्य सरकार द्वारा किये गये सम्प्रेक्षण कार्य परिषद् के ध्यान में लाये जायेंगे। ऐसे सम्प्रेक्षणों पर कार्य परिषद् के विचार, यदि कोई हो, राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे।

42—(1) जब कभी राज्य सरकार को विश्वविद्यालय के किसी धन या सम्पत्ति की हानि दुर्व्यय या दुरुपयोजन के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हो या राज्य सरकार स्वयं उपयुक्त समझे तो वह निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश या उसके किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा विश्वविद्यालय की विशेष लेखा परीक्षा किये जाने का निदेश दे सकेगी।

अधिभार

(2) विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के उस अधिकारी को, जिसकी उपेक्षा या कदाचार के कारण ऊपर निर्दिष्ट हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन हुआ है, एक नोटिस जारी करके उससे यह अपेक्षा करेगी कि वह राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियत समय के भीतर अपने कृत कार्य को स्पष्ट करे।

(3) राज्य सरकार लेखा परीक्षा रिपोर्ट और ऊपर निर्दिष्ट अधिकारी के उत्तर पर विचार करने के पश्चात् इस निमित्त उपयुक्त विनिश्चय कर सकेगी।

(4) यदि राज्य सरकार की राय हो कि अधिकारी को राज्य सरकार द्वारा अवधारित अधिभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाय तो अधिभार, भू-राजस्व के बकाये के रूप में, या ऐसी अन्य रीति से जैसी राज्य सरकार द्वारा निदेशित की जाय, वसूल किया जायगा।

अध्याय—दस

प्रकीर्ण

43—(1) इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा अभिव्यक्त रूप से यथाउपबन्धित के सिवाय, विश्वविद्यालय के अधिकारी और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी में से सदस्य यथासम्भव निर्वाचन से भिन्न रीति से चुने जायेंगे।

प्राधिकारियों के
अधिकारियों और
सदस्यों को नियुक्त
करने की रीति

(2) जहां इस अधिनियम या परिनियम में चक्रानुक्रम से या ज्येष्ठता या अन्य अर्हताओं के अनुसार किसी नियुक्ति के लिए कोई उपबन्ध किया गया हो, वहाँ चक्रानुक्रम और ज्येष्ठता और अन्य अर्हताएं अवधारित करने की रीति वही होगी जो परिनियम द्वारा विहित की जाय।

44—(1) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उसी रीति से की जायगी जिस रीति से वह सदस्य, जिसकी रिक्ति की पूर्ति करनी हो, चुना गया हो, और रिक्ति की पूर्ति करने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिये होगा जिसके लिए वह व्यक्ति, जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य बना रहता।

आकस्मिक
रिक्तियों की पूर्ति

(2) कोई व्यक्ति जो किसी अन्य निकाय के प्रतिनिधि के रूप में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य हो, चाहे वह निकाय विश्वविद्यालय का हो या बाहरी हो, तब तक ऐसा प्राधिकारी अपने पद पर रहेगा जब तक कि वह ऐसे निकाय का प्रतिनिधि बना रहे।

रिक्तियों आदि के कारण कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना

45— विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय या समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य न होगी कि,—

(क) उसमें कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि थी; या

(ख) कार्यवाही में किसी ऐसे व्यक्ति ने भाग लिया है जो ऐसा करने के लिए हकदार नहीं था; या

(ग) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन नाम निर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि थी; या

(घ) उसकी कार्यवाही में कोई ऐसी अनियमितता थी जिससे मामले के गुणावगुण पर कोई प्रभाव न पड़ता हो।

विश्वविद्यालय की सदस्यता से हटाया जाना

46— कार्य परिषद् उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई मत से किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय की सदस्यता से इस आधार पर कि ऐसा व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष हुआ है जो सभी की राय में नैतिक अधमता सम्बन्धित अपराध हो या इस आधार पर कि वह कलंकात्मक आचरण का दोषी है या उसने इस प्रकार व्यवहार किया है जो विश्वविद्यालय के सदस्य के लिए अशोभनीय हो, हटा सकेगी और उन्हीं आधारों पर किसी व्यक्ति से विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या मंजूरी की गयी कोई उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र वापस लें सकेगी।

कुलाधिपति को निर्देश

47— यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या अन्य निकाय का सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त सदस्य या उसका सदस्य होने का हकदार है या नहीं, या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी का कोई विनिश्चय (जिसके अन्तर्गत परिनियम की विधिमान्य से सम्बन्धित कोई प्रश्न भी है) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये परिनियमों के अनुरूप है या नहीं, तो उक्त विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायगा और कुलाधिपति का उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई निर्देश :—

(क) उस दिनांक के जब कि प्रश्न पहली बार उठाया जा सकता था, तीन मास से अधिक के पश्चात्, या

(ख) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी या व्यथित व्यक्ति के सिवाय नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि कुलाधिपति आपवादिक परिस्थितियों में—

(क) पूर्वगामी परन्तुक में वर्णित कालावधि की समाप्ति के पश्चात् स्वप्रेरणा पर कार्य कर सकेगा या निर्देश ग्रहण कर सकेगा ;

(ख) जहां निर्दिष्ट विषय का सम्बन्ध निर्वाचन के बारे में किसी विवाद से हो, और इस प्रकार निर्वाचित व्यक्ति की पात्रता संदेहास्पद हो तो ऐसा स्थगन आदेश दे सकेगा जिसे वह न्यायोचित और समीचीन समझे।

वाद का वर्जन

48— राज्य सरकार या विश्वविद्यालय या उसके किसी अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय के विरुद्ध इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये परिनियमों के अनुसरण में किये गये या किये जाने के लिये तात्पर्यित या आशयित किसी कार्य के लिये न कोई वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा, न कोई अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

49—(1) विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना आदेश, कार्यवाही या संकल्प या अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा संम्यक रूप से अनुरक्षित किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रति, यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित हो तो उसे ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज के या रजिस्टर में प्रविष्टि होने के प्रथम दृष्टतया साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायगी और उसमें अभिलिखित विषय और व्यवहार के लिए साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण किया जायगा जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गयी होती तो वह साक्ष्य में ग्राह्य होती।

विश्वविद्यालय के अभिलेख को सिद्ध करने की रीति

(2) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या सेवक से, किसी ऐसी कार्यवाही में जिसमें विश्वविद्यालय एक पक्ष न हों, विश्वविद्यालय का कोई ऐसा दस्तावेज, रजिस्टर या अन्य अभिलेख जिसकी अन्तर्वस्तुएं उपधारा (1) के अधीन प्रमाणित प्रति द्वारा सिद्ध की जा सकती हो, प्रस्तुत करने की या उसमें अभिलिखित विषय और व्यवहार को सिद्ध करने के लिए साक्ष्य के रूप में उपस्थित होने की तब तक अपेक्षा न की जायगी जब तक कि सभा विशेष कारण से आदेश न दे।

50—(1) राज्य सरकार, किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ, अधिसूचित आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी कालावधि में जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए चाहे वे परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे:

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से दो वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जायगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, उसके दिये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23—क के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

(4) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायगी कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कठिनाई विद्यमान नहीं थी या उसको दूर करना अपेक्षित नहीं था।

51—(1) उत्तर प्रदेश कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 और तद्धीन बनाये गये परिनियमों या विनियमों और दिये गये आदेशों में किसी बात के होते हुए भी नियत दिनांक को और से,—

आस्तियां आदि का अन्तरण

(क) चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर की ऐसी समस्त सम्पत्तियाँ और आस्तियाँ, जो पशु चिकित्सा एवं पशुविज्ञान विभाग से सम्बन्धित हैं, जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, मथुरा भी है जिसे आगे पूर्व विश्वविद्यालय के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, विश्वविद्यालय में अन्तरित और निहित हो जायेंगी।

(ख) पूर्व विश्वविद्यालय के समस्त ऋण, दायित्व और बाध्यताएँ, चाहे वे संविदात्मक हों या अन्यथा, विश्वविद्यालय में अन्तरित हो जायेंगी।

(ग) पूर्व विश्वविद्यालय के प्रत्येक पूर्णकालिक अध्यापकों, कर्मचारियों, और अधिकारियों की सेवाएं विश्वविद्यालय में, उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर जैसे वे ऐसे अन्तरण के ठीक पूर्व विद्यमान रही हों, अन्तरित हो जायेंगी।

विधिक कार्यवाही	52—पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित समस्त वाद, मामले, अपील या अन्य विधिक कार्यवाहियां, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय लम्बित हों, ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध जारी, अभियोजित या प्रवृत्त रखी जा सकेगी।
संविदा आदि का अर्थान्वयन	53—तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या किसी संविदा या अन्य लिखत में चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के प्रति किसी निर्देश का अर्थ,— (क) विश्वविद्यालय के निर्देश के रूप में लगाया जायगा, यदि ऐसे निर्देश का सम्बन्ध चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर की किसी ऐसी आस्ति या सम्पत्ति से हो जो पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विभाग से सम्बन्धित है, जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पशुचिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय मथुरा भी है; (ख) किसी अन्य मामले में, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के निर्देश के रूप में लगाया जायगा।
चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर द्वारा उन्मोचित की जाने वाली बाध्यताएं	54—इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व, पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदान करने के लिए कोई उपाधि या अन्य शैक्षिक विशिष्टताएं या कोई डिप्लोमा या अन्य प्रमाण-पत्र निर्गत करने या किसी व्यक्ति को कोई उपाधि, डिप्लोमा प्रमाण-पत्र, अंकतालिका या अन्य दस्तावेज की कोई प्रति प्रदान करने के लिए उपगत कोई दायित्व ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर का दायित्व होगा।
विवादों का निपटारा	55—यदि पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान से सम्बन्धित, जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पशुचिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय मथुरा भी है, सम्पत्ति के चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर से विश्वविद्यालय में अन्तरण के कारण कोई विवाद उठता है तो ऐसे विवाद का समाधान प्रथमतः उक्त दोनों विश्वविद्यालयों के कुलपतियों द्वारा किया जायगा और किसी ऐसे विवाद के सम्बन्ध में कोई समझौता कराने में ऐसे कुलपति के असफल रहने की दशा में मामले को राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।
अध्यारोही प्रभाव	56—उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी
प्रमुख सचिव।

उद्देश्य और कारण

राज्य में पशुचिकित्सा और पशुविज्ञान के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्रदान कर रही संस्थाओं की कमी के कारण यह विनिश्चय किया गया कि पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति और विकास के लिए मथुरा में पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय और उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, मथुरा को उसकी समस्त आस्तियों और सम्पत्तियों के साथ, चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर से पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान को अन्तर्गत कर दिया जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान विधेयक, 2001 पुरःस्थापित किया जाता है।